



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26658-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 385 वर्ष 2026

आर्यन उर्फ कुशल यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पुरुषोत्तम पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राजेश कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि वे इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. राज्य के विद्वान एजीए और प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
5. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"